



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
Kendriya Vidyalaya Sangathan

18 संस्थानिक क्षेत्र

18 Institutional Area,

शहीद जीत सिंह मार्ग

Shaheed Jeet Singh Marg

नई दिल्ली - 110016

New Delhi - 110016

Tele.:011-26858570/26514179(Fax)

Website:www.kvsangathan.nic.in

पत्रांक : 11060/04/2015-केविसं(मु)/स्था.3 | 29627-84 दिनांक 08 अप्रैल, 2015

उपायुक्त,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन,

सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान /

प्राचार्य,केवि काठमान्डू/मास्को/तेहरान

विषय: केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक एवं गैर शिक्षक स्टाफ को के.वि.सं. राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)/ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय विद्यालयों / शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो सराहनीय सेवा प्रदान की जा रही है उन्हें मान सम्मान देने हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय/ शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान द्वारा जिन शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों की सिफारिश की जा सकती है, उनकी संख्या नीचे दी गई है:-

I. शिक्षक स्टाफ/वर्ग

श्रेणी	विवरण	पुरस्कारों की संख्या	प्रत्येक क्ष.का. द्वारा सिफारिश करने की अधिकतम संख्या
1	प्राचार्य	04	2
2	उप प्राचार्य	01	1
3	मुख्य अध्यापक/ मुख्य अध्यापिका	02	2
4	स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी)	15	5
5	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी)	17	6
6	प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी)	19	8
7	विविध श्रेणी-कला शिक्षक / संगीत/ कार्यानुभव/ शारीरिक शिक्षा/ योग/ पुस्तकालयाध्यक्ष	07	6
	कुल	65	

## II. गैर शिक्षक वर्ग

श्रेणी	विवरण	पुरस्कारों की संख्या	प्रत्येक क्षे.का. द्वारा सिफारिश करने की अधिकतम संख्या
1	ग्रुप 'ए' अधिकारी	1	शून्य (के.वि.सं. राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार -2015 (गैर-शैक्षिक) हेतु ग्रुप 'ए' अधिकारियों के नाम के.वि.सं.(मु.) नई दिल्ली की अंतिम चयन समिति द्वारा नामांकित किया जाएगा)
2	ग्रुप 'बी' अधिकारी	2	1
3	ग्रुप 'सी' कर्मचारी	4	2
4	ग्रुप 'सी' कर्मचारी मल्टीटास्किंग स्टाफ (सब स्टाफ)	3	2
	<b>कुल</b>	<b>10</b>	

III. इसके अतिरिक्त शिक्षक एवं गैर शिक्षक श्रेणी में विकलांग कोटे से भी एक-एक नाम की सिफारिश की जानी है (अर्थात् जिनकी नियुक्ति विकलांग श्रेणी में हुई है और जिन्हें दुगुना ट्रांसपोर्ट भत्ता मिल रहा है) विशेष श्रेणी (विकलांग) के अंतर्गत अनुमोदित पुरस्कारों की संख्या इस प्रकार से है:-

श्रेणी	विवरण	पुरस्कारों की सं.	प्रत्येक क्षे.का. द्वारा सिफारिश करने की अधिकतम सं.
1	विशेष श्रेणी (शारीरिक विकलांग) - माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक / प्राचार्य / उप प्राचार्य एवं विविध श्रेणी अध्यापक	2	1
2	विशेष श्रेणी (शारीरिक विकलांग)- प्राथमिक शिक्षक इसमें पीआरटी संगीत और मुख्य अध्यापक भी सम्मिलित है	2	1
3	विशेष श्रेणी (शारीरिक विकलांग) गैर शिक्षक स्टाफ	1	1
	<b>कुल</b>	<b>5</b>	

टिप्पणी: विकलांग श्रेणी के अंतर्गत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र, जिसमें विकलांगता का प्रतिशत(%) दर्शाया गया हो, की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

निदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का आंचलिक संस्थान एवं अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, केवि मांस्को/ काठमाण्डू एवं तेहरान द्वारा प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार की सिफारिश की जा सकती है एवं प्रस्ताव सीधे ही केविसं(मु.) को अग्रेषित कर सकते हैं।

## IV शिक्षक वर्ग के चयन की प्रक्रिया

वर्ष 2015 के पुरस्कार के लिए जिस शिक्षक के नाम की सिफारिश की जा रही है उसकी दिनांक 31.03.2015 तक केविसं में 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए एवं जिस श्रेणी के लिए आवेदन की सिफारिश की जा रही है उसमें कम से कम 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की होनी चाहिए। प्राचार्य, जिन्होंने केविसं में 20 वर्ष एवं उप प्राचार्य, जिन्होंने केविसं में 15 वर्ष की सेवा की है एवं उस श्रेणी में कम से कम दो वर्ष सेवा पूर्ण कर ली है उन्हीं को पुरस्कार की पात्रता के लिए विचार किया जाए।

सभी पात्र प्राचार्य/उप प्राचार्य/शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी इच्छुक पात्र प्राचार्य/ उप प्राचार्य/अध्यापकों द्वारा पुरस्कार हेतु अपना आवेदन भेजने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा सभी विद्यालयों में भेजा जाए। इस परिपत्र को क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर भी लोड किया जाए। शिक्षक श्रेणी में स्टाफ के चयन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

सभी पात्र प्राचार्य/ उप प्राचार्य एवं शिक्षकों को आवेदन प्रोफार्मा (अनुलग्नक I,II एवं III) दिया जाए। प्रस्ताव पर विचार करने हेतु प्रोफार्मा के साथ एक खाली पेज भी दिया जाए ताकि वह अपनी उपलब्धियों का ब्योरा उसमें दे सके। शिक्षक द्वारा की गई प्रविष्टियों की सत्यता को जांचने के उपरान्त संबंधित प्राचार्य सभी प्रविष्टियों को प्रमाणित करें। प्राचार्य के संबंध में आवेदन प्रोफार्मा में दी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजों की सत्यता को संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाये।

कलस्टर चयन समिति के विचारार्थ प्रस्ताव को भेजने से पहले आवेदक के संबंध में अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति की सिफारिश अवश्य प्राप्त कर ली जाए। कलस्टर चयन समिति द्वारा स्क्रीनिंग एवं चयन करने के लिए संबंधित विद्यालय द्वारा ऐसे सभी आवेदन दिनांक 15/04/2014 से पहले कलस्टर प्रभारी प्राचार्य को भेज दिये जाएं।

### कलस्टर स्तर पर चयन

कलस्टर चयन समिति इस पत्र के पैरा-1 में दी गई संख्या सीमा तक प्रत्येक श्रेणी के अनुसार पुरस्कार हेतु शिक्षकों का चयन कर, उनके नाम संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे। कलस्टर चयन समिति की सिफारिश के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी भेजे जाएं:-

- क. कलस्टर चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।
- ख. आवेदन प्रोफार्मा की एक प्रति एवं आवेदक के नवीनतम दो पासपोर्ट साइज़ फोटो। फोटो के पीछे के भाग पर सत्यापन भी किया जाये।
- ग. गुणवत्तापरक एवं मात्रात्मक परिणाम का विस्तृत विश्लेषण-चूंकि आंतरिक/ बाहरी परीक्षा परिणामों के गुणवत्तापरक बिंदुओं पर भी विचार किया जाता है, अतः कक्षावार/विषयवार परिणाम जिसमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या के साथ विस्तृत विश्लेषण भी संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

कलस्टर स्तर पर पुरस्कार हेतु शिक्षकों के चयन हेतु समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. सहायक आयुक्त/ संबंधित कलस्टर के वरिष्ठ ख्याति प्राप्त प्राचार्य - अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय/प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य/ शिक्षक - सदस्य
3. कोई शिक्षाविद - सदस्य

प्राचार्य एवं उप प्राचार्य की श्रेणी में पुरस्कारों हेतु चयन क्षेत्रीय चयन समिति द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर किया जाएगा जिसके लिए उप प्राचार्यों के कम से कम 2 एवं प्राचार्यों के कम से कम 4 आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्राचार्य एवं उप प्राचार्यों के नाम शिक्षकों की तरह कलस्टर प्रभारी के माध्यम से न भेजकर सीधे ही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त को भेजने हैं।

आवेदक के नाम की सिफारिश भेजने से पहले उसके सेवा रिकार्ड एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-II) में पूर्णरूप से भरकर संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

कलस्टर प्रभारी द्वारा सिफारिश किए गए आवेदन सभी तरह से पूर्ण करके संबंधित क्षेत्रीय, उपायुक्त को 30 अप्रैल 2015 तक भेज दिए जाएं। प्राचार्य/उप प्राचार्य/ शिक्षक द्वारा सीधे भेजे गये आवेदन और जिनकी सिफारिश अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नहीं की गई है, पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन अंग्रेषित करने से पहले प्राचार्य/ शिक्षकों के पूर्ववृत्त का सत्यापन उचित ढंग से कर लिया जाए।

### क्षेत्रीय स्तर पर चयन:-

शिक्षकों के प्रत्येक कलस्टर से प्राप्त आवेदनों की जांच क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय चयन समिति द्वारा पुनः की जायेगी :-

क्षेत्रीय चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. उपायुक्त  | : | अध्यक्ष    |
| 2. क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत में राष्ट्रीय/प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य/ शिक्षक | : | सदस्य      |
| 3. एक शिक्षाविद, जो क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्य हो                                      | : | सदस्य      |
| 4. सहायक आयुक्त  | : | सदस्य सचिव |

क्षेत्रीय चयन समिति इस पत्र के पैरा -1 में आबंटित कोटे के अनुसार श्रेणीवार नाम चयनित कर अंतिम चयन के लिए केविसं(मु.) को भेजेगी। क्षेत्रीय चयन समिति की सिफारिश के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी भेजे जाएं :-

- चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त
- आवेदन/प्रोफार्मा की एक प्रति एवं आवेदक के दो पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो के पीछे शिक्षक/ प्राचार्य का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए एवं सत्यापित होना चाहिए
- गुणवत्तापरक एवं मात्रात्मक परिणाम का विस्तृत विश्लेषण-चूंकि आंतरिक/ बाहरी परीक्षा परिणामों के गुणवत्तापरक बिंदुओं पर भी विचार किया जाता है, अतः कक्षावार/ विषयवार परिणाम छात्रों की संख्या एवं पास छात्रों के प्रतिशत सहित जिसमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या एवं उनके प्रतिशत के साथ विस्तृत मात्रात्मक परिणाम विश्लेषण के संदर्भ में जो छात्र 70 पी. आई प्राप्त कर चुके हैं को भी संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार से प्राथमिक कक्षाओं के लिए छात्रों की संख्या एवं पास प्रतिशत के साथ जिन्होंने "ए" ग्रेड प्राप्त किया है को भी संलग्न किया जाए।
- क्षेत्रीय कार्यालय के सभी संस्तुत कर्मचारियों के संबंध में एक संयुक्त सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अलग से भेजा जाय।
- आवेदक के नाम की सिफारिश करने से पहले उनके सेवा रिकार्ड एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-॥) पूर्ण रूप से भरकर संबंधित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
- सभी सूचनाएं हार्ड कॉपी में भेजने के साथ संलग्न प्रपत्र में एक्सेल(Excel) शीट में बनाकर ई-मेल द्वारा(jc.admn@kvsedu.org तथा CC kvs.icadmn@gmail.com को व so.estt3@kvsedu.org तथा CC kvs\_e2@yahoo.co.in) को भी भेजी जाए।
- पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/एपीएआर, जो भी लागू हो, की फोटोस्टेट प्रतिलिपियाँ।

#### V. गैर शिक्षक वर्ग के चयन की प्रक्रिया

वर्ष 2015 के प्रोत्साहन पुरस्कारों के लिए जिन अधिकारियों / कर्मचारियों (ग्रुप बी एवं सी) के नामों की सिफारिश की जा रही है उनके आवेदन अनुलग्नक XI एवं XII में भरकर अनुलग्नक VII में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार भेजें। उनकी केविस में दिनांक 31.03.2015 तक कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। आवेदक ने जिस श्रेणी के पुरस्कार के लिए आवेदन किया है, अगर वह ग्रुप 'बी' अधिकारी है, तो वर्तमान कांडर में कम से कम 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होनी चाहिए एवं ग्रुप सी कर्मचारियों के मामले में कम से कम 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होनी चाहिए। यद्यपि वर्ष 2014 में लिए गए निर्णय के अनुसार ग्रुप 'ए' (गैर शिक्षक कर्मचारियों) के नाम अग्रसारित न करें।

अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन हेतु मुख्य विचारणीय बिन्दु इस प्रकार हैं:-

- 1- कार्यालय/ विद्यालय में कार्मिक की प्रसिद्धि/प्रतिष्ठा
- 2- कार्यालयीन मामलों/ शिक्षक के मामलों में कार्य निपटान में उसकी दक्षता एवं सुधार के प्रति उत्सुकता
- 3- संबंधित क्षेत्र में इनकी वास्तविक रुचि एवं नवप्रवर्तनकारी अभ्यास
- 4- सामाजिक जीवन में समुदाय के कार्यों, जहाँ लागू हो, में संलग्न होना
- 5- उनके सेवा रिकार्ड के अनुसार अधिकारी/ कर्मचारी को पिछले तीन वर्षों में सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के अंतर्गत कोई पेनॉल्टी न दी गई हो जिसमें निंदा-पत्र भी सम्मिलित हैं।
- 6- पुरस्कार के वर्ष से पिछले तीन वर्षों में क्या अधिकारी /कर्मचारी ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

इन पुरस्कारों के लिए अधिकारी/ कर्मचारी की प्रारंभिक पहचान की जाएगी और फिर उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित फार्म दिया जाएगा। फार्म के साथ किसी भी दस्तावेज के संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। पहचान एवं चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित तरीके से होनी चाहिए :-

क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर स्क्रीनिंग सह चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. उपायुक्त/ प्रभारी उपायुक्त	:	अध्यक्ष
2. सहायक आयुक्त	:	सदस्य
3. क्षेत्रीय कार्यालय का प्रशा.अधि./वित्त.अधि./अनुभाग अधिकारी	:	सचिव

क्षेत्रीय स्क्रीनिंग सह चयन समिति प्रत्येक श्रेणी (समूह 'क' अधिकारियों को छोड़कर) में कोटे के अनुरूप नामों का चयन कर अंतिम चयन के लिए केविस.(मु.) को भेजें।

केविस.(मु.), विदेश में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के प्रस्तावों की प्रथम स्तर की स्क्रीनिंग केविस.(मु.) के स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों की गठित समिति द्वारा की जाएगी:-

- 1- संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)
- 2- सहायक आयुक्त (स्थापना)
- 3- सहायक आयुक्त (प्रशासन)
- 4- सहायक आयुक्त (शैक्षिक)
- 5- सहायक शिक्षा अधिकारी

नोट : स्क्रीनिंग समिति पुरस्कार के लिए नामों की सिफारिश करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि चयन के समय उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया गया है।

सिफारिश से पहले आवेदक के सेवा रिकार्ड एवं पूर्ववृत्त का सावधनीपूर्वक सत्यापन किया जाना चाहिए। संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में एक प्रमाण पत्र पूर्णरूप से भरकर हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

प्रोत्साहन पुरस्कारों के लिए क्षेत्रीय चयन समिति द्वारा केविसं(मु.) में भेजने की सिफारिश की गई है उन सभी के संबंध में क्षेत्रीय उपायुक्त द्वारा सतर्कता प्रमाणपत्र अवश्य दिया जाए।

केविसं प्रोत्साहन के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश(अनुलग्नक- IV से VII) संलग्न हैं। आवेदनों को दिशा निर्देशों की दृढ़ता से अनुपालना करके ही आवेदन करें/ भेजें।

जिन नामों की सिफारिश की गई उन सभी के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों/ प्रपत्र/अनुलग्नक VIII से X के साथ और इस पत्र के पेज नम्बर 4 पर दिए अनुसार दिनांक सहित हस्ताक्षर कर अधोहस्ताक्षरी के पास दिनांक 30-05-2015 तक अवश्य पहुँच जाने चाहिए।

शिक्षकों/प्राचार्यों द्वारा सीधे भेजे गये आवेदन और जिनकी सिफारिश अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नहीं की गई, पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन अर्पित करने से पहले शिक्षक एवं गैर शिक्षक स्टाफ के पूर्ववृत्त का सत्यापन उचित ढंग से किया जाना चाहिए।

निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी कार्यालय को शून्य रिपोर्ट या अपर्याप्त नामों के अन्वेषण से बचना चाहिए। उपायुक्तों से अनुरोध है कि वे योग्य स्टाफ को पुरस्कार के आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें।

भवदीय  
(यू. एन. खवाई) 5/11/15  
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)

प्रतिलिपि:-

1. केविसं (मु.) के सभी शाखाधिकारी।
2. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
3. अपर आयुक्त(प्रशा), केविसं(मु.), नई दिल्ली के निजी सचिव।
4. अपर आयुक्त(शैक्षिक), केविसं(मु.), नई दिल्ली के निजी सचिव।
5. उपायुक्त (ईडीपी) को इन निर्देशों के साथ कि इस परिपत्र को केविसं की वेबसाइट पर दर्शाये